संख्या-**1228** /2026/569/22-2-2026-17(450)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी अजंनी लाल पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-10410/प्रो0अनु0(2)-314/2026 (बैठक दिनांक 09.03.2026), दिनांक 20.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी अजंनी लाल पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद, झिसनी, थाना-थानगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 16/17.11.2006 को पुरानी रंजिश के कारण अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक, बांका, कांता, नाजायज असलहे से 10 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-258/2007 में धारा-148, 302/149, 452 आईपी०सी० में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट, सीतापुर के आदेश दिनांक 21.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 24.02.2026 तक अपरिहार 18 वर्ष, 25 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 24.02.2026 तक 58 वर्ष, 08 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिमत दिनांक 06.11.2025 में अंकन किया गया है कि शासनादेश के अनुसार समयपूर्व रिहाई हेतु विधिक एवं नियमानुसार अर्हता रखता है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 16/17.11.2006 को अभियुक्त ने पुरानी रंजिश के कारण अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक, बांका, कांता, नाजायज असलहे से 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अंजनी लाल पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी अजंनी लाल (बन्दी सं0-52038) पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1228**/2026/569(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।